

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)()पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 70826-892

जयपुर, दिनांक: 21/8/14

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :- विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों के क्रम में विभाग द्वारा समय समय पर आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।


इस क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में परियोजनाओं का चयन करते हुये अब तक कुल 226 बाल विकास परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर.टी.ई. पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत चयनित परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं द्वारा सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को उल्लेखित करते हुये निदेशालय को पूरक पोषाहार की मांग प्रेषित की जा रही है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभागीय निर्देशों के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस स्थिति को गम्भीरता से लिया गया है। विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में सम्पूर्ण राज्य में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा आगामी तीन माह में ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें पूर्व में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु चयनित किया जा चुका है, किन्तु विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था असफल रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है, में पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार निर्धारित दिनांक अथवा इससे पूर्व चयनित परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् उक्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पहले से उपलब्ध पूरक पोषाहार का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जावे। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सार्थक प्रयास करते हुये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। समस्त उप निदेशक अपने अधीनस्थ संचालित बाल विकास परियोजनाओं में उक्त कार्यक्रम की समीक्षा कर विभागीय निर्देशानुसार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- कार्ययोजना।


(डॉ. पृथ्वीराज)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)()पोषा / S.H.G. / मबावि / 2009 /

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित कार्ययोजना

क्र.सं.	जिला	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ करने की दिनांक			
		01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	01.04.2015
1	जयपुर	दूदू-गा (मोजमाबाद) जमवारामगढ़		जयपुर-1 जयपुर-2 जयपुर-3 जयपुर-iv फागी सांगानेर शहरी	कोटपूतली बस्सी, झोटवाड़ा बैराठ शाहपुरा सांभर दूदू गोविन्दगढ़
	योग	2	0	6	8
2	अलवर	उमरैण बानसूर	बहरोड़ अलवर शहर कोटकासिम रामगढ़		राजगढ़ कठूमर, मुण्डावर तिजारा रैणी नीमराणा
	योग	2	4	0	6
3	सीकर	खण्डेला नीमकाथाना	सीकर-शहर फतेहपुर-शहर सीकर-2 पिपराली		धोद श्रीमाधोपुर दांतारामगढ़ फतेहपुर लक्ष्मणगढ़
	योग	2	4	0	5
4	झुंझुनू	झुंझुनू ग्रामीण चिडावा	सूरजगढ़ नवलगढ़ झुंझुनू शहर		खेतड़ी बुहाना उदयपुरवाटी अलसीसर
	योग	2	3	0	4
5	दौसा	दौसा ग्रामीण सिकराय महुवा	बांदीकुई बांदीकुई-2 दौसा शहर		लालसोट
	योग	3	3	0	1
6	टोंक			अलीगढ़ मालपुरा टोंक शहर देवली टोडारायसिंह टोंक ग्रामीण	
	योग	0	0	6	0
7	नागौर				डेगाना मेड़तासिटी मकराना परबतसर लाडन कुचामनसिटी मकराना-शहर
	योग	0	0	0	7

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित कार्ययोजना

क्र.सं.	जिला	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ करने की दिनांक			
		01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	01.04.2015
8	भीलवाडा	माण्डलगढ			सहाडा
		हुरडा			कोटडी
					जहाजपुर
					शाहपुरा
					बनेडा
					आसींद
	योग	2	0	0	6
9	अजमेर				भिनाय
					किशनगढ-ग्रा.
					मसूदा
					पीसांगन
					जवाजा
	योग	0	0	0	5
10	चित्तौड़गढ				बेगू
					राश्मी
					चित्तौड़गढ-श.
					भैसरोरगढ
					गंगरार
	योग	0	0	0	5
11	राजसमंद	कुम्भलगढ			
		आमेट			
		भीम			
		देवगढ			
		राजसमंद शहर			
	योग	5	0	0	0
12	उदयपुर	कोटडा			
		लसाड़िया			
	योग	2	0	0	0
13	डूंगरपुर	सीमलवाडा (चिखली)			
		सीमलवाडा			
	योग	2	0	0	0
14	प्रतापगढ				धरियावाद
	योग	0	0	0	1
15	बांसवाडा				गढी
					कुशलगढ
					घाटोल
					तलवाडा
					सज्जनगढ
					बागीदौरा
					आनन्दपुरी
					बांसवाडा- शहर
	योग	0	0	0	8
16	चूरु	सुजानगढ-ग्रामीण			सरदारशहर-शहरी
		सरदारशहर ग्रामीण			सुजानगढ-शहरी
		चूरु शहर			
	योग	3	0	0	2

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित कार्ययोजना

क्र.सं.	जिला	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ करने की दिनांक			
		01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	01.04.2015
17	श्रीगंगानगर			सूरतगढ	अनूपगढ
				रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर-ग्रामीण
				सार्दुलशहर	श्रीगंगानगर-शहरी
				अनूपगढ-II	
				श्री करणपुर	
				पदमपुर	
	योग	0	0	6	3
18	बीकानेर		कोलायत		
			लूणकरणसर		
			बीकानेर-शहर		
			नोखा		
			श्रीडूंगरगढ		
			बीकानेर-ग्रामीण		
			नोखा-II (देशनोख)		
			बीकानेर-II		
	योग	0	8	0	0
19	जोधपुर	बिलाडा			
		शेरगढ			
		फलोदी			
		बाप			
	योग	4	0	0	0
20	सिरोही			सिरोही-ग्रामीण	
				पिण्डवाडा	
				रेवदर	
				शिवगंज	
	योग	0	0	4	0
21	पाली	खारची			रायपुर
		पाली ग्रामीण			रोहट
		देसूरी			रानी
		सोजत			सुमेरपुर
	योग	4	0	0	4
22	जालौर			रानीवाडा	सांचौर
				सांचौर-II	भीनमाल
				जसवन्तपुरा	
				आहौर	
	योग	0	0	4	2
23	जैसलमेर		जैसलमेर		
			सम		
			पोकरण		
	योग	0	3	0	0
24	बाडमेर	सिवाणा	बायतू-II (सवाउ)		चौहटन
			चौहटन-II (सेडवा)		धौरीमन्ना
			धौरीमन्ना-II		शिव
			सिणधरी-II (नोखडा)		बाडमेर-शहर
			शिव-II (गडरारोड)		
			बायतू		
	योग	1	6	0	4

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित कार्ययोजना

क्र.सं.	जिला	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ करने की दिनांक			
		01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	01.04.2015
25	कोटा				सुलतानपुर
	योग	0	0	0	1
26	बांरा			छीपा बडौद	अन्ता
				अटरु	
				छबडा	
				शाहबाद	
				किशनगंज	
	योग	0	0	5	1
27	बूंदी			बूंदी-शहर	
				तालेडा	
				केशवरायपाटन	
				हिण्डोली	
				नैनवा	
	योग	0	0	5	0
28	झालावाड़			झालरापाटन	
				खानपुर	
				बकानी	
				मनोहरथाना	
				झालावाड शहर	
	योग	0	0	5	0
29	भरतपुर		कुम्हेर		रूपबास
			डीग		वैर
			सेवर		कामां
			नगर पहाडी		
			बयाना		
			नदबई		
	योग	0	6	0	3
30	धौलपुर		बाडी		
			बसेडी		
			राजाखेडा		
	योग	0	3	0	0
31	करौली	सपोटरा			करौली
		हिण्डौनसिटी-ग्रामीण			
		हिण्डौनसिटी-शहर			
	योग	3	0	0	1
32	सवाई माधोपुर	बामनवास			बौली
		खण्डार			
		स.माधोपुर-ग्रामीण			
	योग	3	0	0	1
	महायोग	40	40	41	78

(आर.एस.मीना)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)